न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 115/2017

1 बीरबल पुत्र ज्ञानाराम जाति अहीर निवासी कलगांव तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना राज.। (दौराने अपील मृत्यु)

1/1 सरबती पत्नी स्व. बीरबल

1/2 राजेश पुत्र स्व. बीरबल

1/3 राकेश पुत्र स्व. बीरबल

समस्त जाति अहीर निवासी कलगांव तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना राज.।

1/4 सुनिता पत्नी अनिल पुत्री स्व. बीरबल जाति अहिर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

2 सुल्तान पुत्र ज्ञानाराम जाति अहीर निवासी कलगांव तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना राज.।

3 हरिसिंह पुत्र ज्ञानाराम जाति अहीर निवासी कलगांव तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना राज.। (दौराने अपील मृत्यु)

3/1 माया पत्नी स्व. हरिसिंह

3/2 अमित पुत्र स्व. हरिसिंह

3/3 सुधीर पुत्र स्व. हरिसिंह

जाति अहीर निवासी कलगांव तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना राज.।

3/4 सुमन पत्नी कृष्ण कुमार पुत्री स्व. हरिसिंह निवासी ढाणी सेवड़िया तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

4 दुलीचन्द पुत्र ज्ञानाराम

5 बनवारी पुत्र ज्ञानाराम

6 महावीर पुत्र ज्ञानाराम

7 नानड़ पुत्र ज्ञानाराम

समस्त जाति अहीर निवासी कलगांव तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना राज.।

अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * (झुन्झुनू)

बनाम

1 अमरसिंह पुत्र रामकुंवार
2 रोहिताश पुत्र रामकुंवार
3 चन्द्रभान पुत्र रामकुंवार
4 सुरजभान पुत्र रामकुंवार
5 जितेन्द्र सिंह पुत्र लीलाधर
6 सुरेश कुमार पुत्र लीलाधर
जाति समस्त अहीर निवासीगण सातड़िया तहसील बुहाना हाल ग्राम बामनवास तहसील चिड़ावा हाल तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
7 गुरूदयाल पुत्र धन्नाराम निवासी बामनवास तहसील चिड़ावा हाल तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
8 धर्मपाल पुत्र झुंथाराम जाति अहीर निवासी कलगांव तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।
9 चन्द्रकला देवी पत्नी धर्मपाल जाति अहीर निवासी कलगांव तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।
10 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिकी दिनांक 27.06.2017 न्यायालय उपखंड अधिकारी सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू बमुकदमा उनवानी बीरबल वगैरह बनाम अमरसिंह मु.नं. 130/2009, 365/2014

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 13.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 365/2014में पारित निर्णय दिनांक 27.06.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलांटस ने एक वाद घोषणात्मक बंटवारा रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 169 वाके ग्राम बामनवास तहसील चिड़ावा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वादीगण/अपीलान्टस रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 18.05.2000 से भूमि खसरा नम्बर 169 वाके ग्राम बामनवास के 1/6 हिस्से के संयुक्त खातेदार काश्तकार है तथा विक्रय पत्र दिनांकित 06.12.2006 वादीगण/अपीलान्टस के हक अधिकारों के विरूद्ध शुरू से ही नल एंड वोइड है जिसे वादीगण/अपीलान्टस को सक्षम न्यायालय में निरस्त करवाने की आवश्यकता नहीं है न ही उसे शून्य एवं बेअसर घोषित करवाने की आवश्यकता है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 6 को उक्त भूमि में शून्य एवं बेअसर विक्रय पत्र

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

दिनांकित 06.12.2006 से कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। वादीगण/अपीलान्टस अपने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 18.05.2000 के आधार पर रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है स बात पर विचारण न्यायालय ने कोई गौर नहीं करके वादीगण/अपीलान्टस का वाद पत्र खारिज कर निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2017 पारित करने में गलती कानूनी की है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 6 ने शून्य एवं बेअसर विक्रय पत्र के आधार पर जो नामान्तकरण संख्या 301 दर्ज करवाया है वह भी वादीगण/अपीलान्टस के हक अधिकारों के विरूद्ध शुरू से शून्य एवं बेअसर है और उक्त नामांतकरण संख्या 301 से प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 6 को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। नामांतकरण केवल एक फिस्कल प्रोसिडिंग होती है जो टाइटल तय करने के लिए सुसंगत है, न ही नामांतकरण से किसी को कोई हक अधिकार हासिल हो सकते है। वादीगण/अपीलान्टस को उक्त नामांतकरण संख्या 301 के विरूद्ध अपील करने की कोई आश्यकता नहीं थी और वादीगण को जानकारी होते ही उक्त नामांतकरण संख्या 301 को वर्तमान घोषणा के दावा में ही निरस्त करने की इस्तदुआ भी वादीगण ने चाही है ऐसी स्थिति में अलग से नामांतकरण के विरूद्ध अपील करने की आवश्यकता नहीं है इस बात पर विचारण न्यायालय ने कोई गौर नहीं करके इस आधार पर कि वादीगण ने नामांतकरण के विरूद्ध कोई अपील पेश नहीं की है वादीगण का वाद खारिज करने में तथा निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2017 पारित करने में गलती कानूनी की है जो निर्णय व डिक्री निरस्त की जाकर वादीगण/अपीलान्टस को भूमि खसरा नम्बर 169 के 1/6 हिस्से का संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित एंव आवश्यक है। भूमि खसरा नम्बर 169 वाके ग्राम बामनवास में वादीगण/अपीलान्टस पहले से 1/6 हिस्से के संयुक्त खातेदार काश्तकार थे और 1/6 हिस्से के संयुक्त खातेदार काश्तकार उक्त विक्रय पत्र दिनांकित 18.05.2000 से बने है इस प्रकार वादीगण/अपीलान्टस भूमि खसरा नम्बर 169 में सयुक्त रूप से 2/6 हिस्से के खातेदार काश्तकार है और वादीगण ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधि... * सीकर * (झुन्झुनूं)

वर्तमान वाद उक्त भूमि के 2/6 हिस्से के संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित होने का व शून्य नामांतकरण संख्या 301 को निरस्त करने का पेश किया था। वादीगण अपीलान्टस ने अपने वाद को बखूबी साबित किया है और वादीगण/अपीलान्टस के वाद पत्र को किसी भी पक्षकार ने कोई खण्डन नहीं किया है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 6 भूमि खसरा नम्बर 169 में मात्र 0.08 हैक्टेयर के खातेदार है तथा उनके नाम राजस्व रिकार्ड में 1/6 हिस्सा गलत दर्ज चला आ रहा है जो कि अपीलान्टस का हिस्सा है इस प्रकार वादीगण अपीलान्टस भूमि खसरा नम्बर 169 के 2/6 हिस्से के संयुक्त काबिज खातेदार काश्तकार है और रिकार्डेड खातेदार घोषित होने के अधिकारी है इस बात पर कोई गौर नहीं करके विचारण न्यायालय ने वादीगण/अपीलान्टस का वाद खारिज करने तथा निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2017 पारित करने में गलती तथ्य की एवं कानूनी की है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 6 गलत राजस्व रिकार्ड का फायदा उठाने के लिए अपीलान्टस का हक हिस्सा 1/6 विक्रय करने पर अमादा है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 6 उक्त भूमि खसरा नम्बर 169 का 1/6 हिस्सा कभी भी विक्रय कर सकते है। जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है इस कारण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 6 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है कि वे भूमि खसरा नम्बर 169 के सम्बन्ध में कोई विक्रय, रहन व अन्य हस्तांरण नहीं करे और भूमि खसरा नम्बर 169 के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने विक्रय पत्र के आधार पर खातेदारी का अनुतोष चाहा था। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का विस्तृत विवेचन किये बिना सरसरी तौर पर आदेशिका में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय स्पींकिग नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 13.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर